संख्या– /VI-2/2011–2(28)2007

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा/ पिथौरागढ़/ बागेश्वर/ चम्पावत/
पौड़ी/ टिहरी/चमोली/ उत्तरकाशी /रूद्रप्रयाग।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांकः 29 अप्रैल, 2011**

विषयः– जिला योजना की धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत जारी किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, वित्तीय वर्ष 2011–12 के आयोजनागत पक्ष में जिला योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 120.00 लाख (रू0 एक करोड़ बीस लाख) की धनराशि को निम्नांकित सारिणी एवं शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख रूपये में)

क0सं0	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	अल्मोड़ा	30.00
2	पिथौरागढ़	15.00
3	बागेश्वर	10.00
4	चम्पावत	15.00
5	पौड़ी	12.00
6	टिहरी	15.50
7	चमोली	1.00
8	उत्तरकाशी	20.00
9	रूद्रप्रयाग	1.50
	योग	120.00

2– उक्त स्वीकृत धनराशि शासनादेश संख्या–355/VI-I/2006–9(19)2006 दिनांक 13 दिसम्बर, 2006 के द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण होने पर ही आहरित की जायेगी।

3–उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में विहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे

क्रमशः.....2

करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

4– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

5– व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत रहते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6– धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार ही आहरित किया जायेगा। आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 लेखाशीषर्क–2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–10 महान विभूतियों की मूर्तियों की स्थापना–1091–जिला योजना–25 लघु निर्माण कार्य के आयोजनागत पक्ष के मानक मद के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या–424 / VI-2 / 2011–2(28)2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3– निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– अपर सचिव, वित्त / नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5– संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा / पिथौरागढ़ / बागेश्वर / चम्पावत / पौड़ी / टिहरी / चमोली / उत्तरकाशी तथा रूद्रप्रयाग।
7– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
8– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
9– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।